113

कण्डिका – 19

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत सोरली–डोंडीलोहारा, दल्लीराजहरा –गोटाटोला, दल्लीराजहरा – बालोद, दल्लीराजहरा –भानुप्रतापपुर, धमतरी –चारामा, कोरर–मालगांव, अंगारा– भानुप्रतापपुर एवं राजनांदगांव – दल्लीराजहरा के मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 197.560 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 2.497 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 0.234 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.164 हेक्टेयर कुल 2.895 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत् गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

कलेक्टर महोदय, बालोद से प्राप्त राजस्व वनभूमि हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

Divisional Forest Officer
Balod Division, Balod

Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड,
मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर बालोद जिला बालोद

क्रमांक/69 /प्र.कले./2022 बालोद दिनांक 15.02.2022

।। अनापत्ति प्रमाण पत्र।।

प्रधान राज्य समन्वयक अधिकारी, जियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) द्वारा बालोद जिले के डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा तहसील के अन्तर्गत समानांतर 4 जी टेलीकॉम सुविधा प्रदान करने हेतु ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य हेतु प्रभावित राजस्व वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डौण्डीलोहारा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अ.वि.अ. से जांच प्रतिवेदन कं./1680/प्र.1/अ.वि.अ./2021 डौण्डीलोहारा दिनांक 22.12.2021 के अनुसार ग्रामवार भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	मार्ग विवरण	ग्राम	तहसील	खसरा क्रमांक	व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि (हेक्टेयर में)	कैफियत
1	सोरली से डौंडीलोहारा	पडवा पथरा	डौंडीलोहारा	562	0.002	बड़े झाड़ के जंगल
2				553	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
3		गुरामी		43/403	0.007	बड़े झाड़ के जंगल
4	दल्लीराज़हा से गोटाटोला	बिटाल	डौंडी	184	0.055	बड़े झाड़ के जंगल
5		हितकसा		143	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
6	दल्लीराज़हरा से भानुप्रतापपुर	गोटुलमुण्डा	डौंडी	82/1	0.019	बड़े झाड़ के जंगल
7				68/1	0.004	बड़े झाड़ के जंगल
8		मलकुंवर		263/1	0.003	बड़े झाड़ के जंगल
9		नर्राटोला		411/1	0.005	बड़े झाड़ के जंगल
10		खैरवाही		348	0.013	बड़े झाड़ के जंगल
11		ऑराटोला		74/1	0.025	बड़े झाड़ के जंगल
12		अवारी		198/1	0.007	बड़े झाड़ के जंगल
13	राजनांदगांव से दल्लीराज़हरा	सिव्रानी	डौंडीलोहारा	10	0.003	झुडुपी जंगल
14				338	0.003	झुडुपी जंगल
15				607	0.006	झुडुपी जंगल
16				617	0.001	झुडुपी जंगल
17		जाटादाह		57	0.002	छोटे झाड़ के जंगल
18		गिधाली	डौंडी	117	0.001	बड़े झाड़ के जंगल
कुल–	04	13	02	18	0.164	–

1125

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वन के मद पर दर्ज है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू–प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के सम्पादन में उल्लेखित ग्रामों में स्थित धार्मिक या समाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती हो तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डौण्डीलोहारा के प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर विषयांकित ग्रामों के आवेदित खसरा नम्बरों की भूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाली राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

शर्तेः–

1– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित कुल 13 ग्रामों की वन भूमि/राजस्व वनभूमि पर आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य हेतु दी जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा भविष्य में किया जाता हो, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

2– आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

3– आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने से किसी की परिसम्पत्ति की क्षति होती है, तो आवेदित फर्म/संस्था उसे पूर्व की भांति स्थापित करेगी।

4– इस अनापत्ति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।

5– आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति नही होगी।

6– आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु किये जाने वाले कार्य के लिए जिन विभागों की सम्पत्ति अथवा जमीन से लगा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी तथा उक्त विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष कार्यवाही करनी होगी।

7– आवेदित भूमि पंर सीमांकन उपरांत शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ.ग. शासन राजस्व विभाग को देय होगा।

उपरोक्त भूमि के व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की कार्यवाही विधिवत की जाती है तो उपरोक्त भूमि के उपयोग किये जाने पर इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर बालोद
बालोद दिनांक 15 .02.2022

पृ.क्रमांक/ 69 /प्र.कले./2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधान राज्य समन्वयक अधिकारी, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर बालोद